भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1834
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

समवर्ती संपरीक्षा का प्रावधान

1834 # श्रीमती दर्शना सिंहः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बहुराज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 में समवर्ती संपरीक्षा का कोई उपबंध किया गया है;
(ख) यदि हां, तो इस उपबंध से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की जवाबदेही किस प्रकार सुनिश्चित होगी; और
(ग) इस उपबंध से सहकारी सोसाइटियों के कार्यकरण को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां । बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 70क के अधीन 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर/जमा वाली बहुराज्य सहकारी समतियों के लिए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल से समवर्ती संपरीक्षण के उपबंध किए गए हैं। समवर्ती संपरीक्षण से धोखाधड़ी या अनियमितताएं, यदि कोई हो, का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित होगा और तदनुसार, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी ।

*****